न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 46 / 2018 / अपील / एलआरएक्ट / कोटा
तारीख दायराः 1.5.2018
अन्तर्गत धाराः 76 एल.आर.एक्ट

उनवान

1 कैलाशनारायण आत्मज अमृतलाल जाति ब्राहमण निवासी सुल्तानपुर संजय नगर सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।

...अपीलांट

बनाम

1 हेमंत आत्मज हीरालाल
2 लोकेश आ0 हीरालाल
3 हीरालाल आत्मज अमृतलाल जाति ब्राहमण निवासीगण सुल्तानपुर संजय नगर सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।
4 चम्पाबाई पुत्री अमृतलाल पत्नी कैलाशचंद जाति ब्राहमण निवासी नाहरगढ जिला बांरा।
5 हरिनारायण आत्मज जमनालाल
6 विष्णुकुमार आत्मज जमनालाल
7 प्रेमबाई पुत्री जमनालाल
8 मंजूबाई पुत्री जमनालाल जाति ब्राहमण निवासीगण बेहरा झीर तहसील गुना जिला गुना (म0 प्र0)
9 ग्राम पचायंत सुल्तानपुर जरिये सरंपच सुल्तानपुर तहसील दीगोद।
10 राज0 सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मुकुट बिहारी पारेता अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1, 2, 3
श्री रमेश राठोर अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–4 लगायत 8

:::निर्णय:::

दिनांक 18.6.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 10 / 17 उनवान कैलाशनारायण बनाम हेमन्त वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 13.4.2018 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम पंचायत सुल्तानपुर द्वारा अमृतलाल पुत्र प्यारेलाल के खाते की आराजी ख0 नं0 2832 रकबा 0.10 है0, ख0 नं0 2845 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 0.12 है0 एवं ख0 नं0 304 रकबा 0.67 है0 ख0 नं0 305 रकबा 0.64 है0 कुल किता 2 रकबा 1.31 है0 का खातेदार अमृतलाल की मृयु उपरांत वसीयत के आधार पर रेस्पो0 क्रम 1 व 2 क्रमशः हेमंत व लोकेश के नाम तस्दीक किये गये नामा0 सं0 1783 दिनांक 21.9.15 से अप्रसन्न होकर अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि मृतक अमृतलाल के चार वारिस 2 पुत्र अपीलांट व रेस्पो0 नं0 3 व दो पुत्री रेस्पो0 नं0 4 व मृतक गीताबाई के वारिसान रेस्पो0 नं0 5 ता 8 है। अपीलांट के पिता की भूमि का नामान्तरकरण विरासत के आधार पर नही खोलकर वसीयत के आधार पर तस्दीक कर त्रुटि की है क्योंकि वसीयत की जांच नही की ना ही सुनवायी का अवसर दिया। अतः इंतकाल निरस्त किया जाकर विरासत का इंतकाल तस्दीक किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त इंतकाल रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर विधि अनुसार दर्ज किये जाने से इंतकाल मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 13.4.2018 से खारिज की गई जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील

राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि इंतकाल विधि, न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई साक्ष्य का अवसर प्रदान नही किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि विवादित आराजी के अपीलांट एवं रेस्पो0 कम 3 रेस्पो0 कम 4 व रेस्पो0 कम 5 लगायत 8 वारिस एवं उत्तराधिकारी है तथा सम्पत्ति का उपयोग व उपभाग करते चले आ रहे है। उक्त तथ्यों को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने उपरात भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील खारिज करने मे त्रुटि की है। इंतकाल कूटरचित वसीयत दिनांक 2.6.2009 तैयार कर तस्दीक कराया गया है। अपीलांट के पिता द्वारा अपने जीवनकाल मे कभी कोई वसीयत आलेखित नही की। ग्राम पंचायत को वसीयत के आधार पर नामा0 तस्दीक करने का कोई अधिकार नही है। वसीयत 2009 की है जबकि अपीलांट के पिता मृत्यु वर्ष 2011 मे हुई है मृत्यु क बाद अपीलांट व रेस्पो0 द्वारा तहसीलदार को वारिसान के नाम इंतकाल खोलने बावत निरंतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते रहे है परन्तु 4 साल बाद वसीयत के आधार पर नामा0 तस्दीक करने मे परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई ध्यान नही दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय एवं परीक्षण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया नामा0 निरस्त किया जाकर वारिसान के नाम इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट के मृतक पिता अमृतलाल के नाम दर्ज भूमि का इंतकाल रेस्पो0 कम–1 व 2 के नाम तस्दीक करने मे त्रुटि की है क्योंकि अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल मे कभी कोई वसीयत आलेखित नही की। वसीयत कुटरचित है। अपीलांट व रेस्पो0 कम 3 तथा 4 लगायत 8 मृतक अपीलांट के विधिक वारिसान है। नामा0 तस्दीक करने से पूर्व वसीयत की जांच नही की तथा ना ही वारिसान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। ग्राम पंचायत को वसीयत के आधार पर नामा0 करने का अधिकार नही है। उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील करने करने मे विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय एंव इंतकाल निरस्त किया जाकर प्रकरण विरासत के आधार पर नामा0 तस्दीक करने हेतु तहसीलदार दीगोद को रिमांड किया जावे। अपने कथन के समर्थन मे आरबीजे (15) 2008 पेज 168, आरबीजे (16) 2009 पेज 204 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम 1, 2 तथा 3 ने बहस मे बताया कि विवादित भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिसकी वसीयत करने का अमृतलाल को अधिकार प्राप्त है। वसीयत रजिस्टर्ड है। वसीयत मे वारिसान का उल्लेख है नामा0 सं0 1783 रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नही है। अगर रजिस्टर्ड वसीयत गलत है तो अपीलांट सक्षम सिविल न्यायालय मे चुनोती देने के लिये स्वतंत्र है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा जेरअपील निर्णय दि0 13.4.18 व नामा0 सं0 1783 दिनांक 21.9.2015 तथा प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें आरबीजे (15) 2008 पेज 168 का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि इंतकाल सं0 1783 अमृतलाल द्वारा आलेखित रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 2.6.2006 के आधार पर अमृतलाल के पौत्र हेमन्त व लोकेश के नाम दर्ज किया गया है जो विधिसम्मत होने से किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना प्रतीत नही होती है। अपीलांट को यदि रजिस्टर्ड वसीयत से किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह उसको सक्षम सिविल न्यायालय मे चुनोती देने के लिये स्वतंत्र है। अपीलांट ने अपने कथन को प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं न्यायालय हाजा मे साक्ष्य सबूतो से प्रमाणित कराने मे असफल रहा है ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक उद्धरण चस्पा नही होते है। उक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है। लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 18.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा